



प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया पर आधारित टैरिफ के माध्यम से पवन ऊर्जा की खरीद हेतु दिशा-निर्देश जारी

Posted On: 12 DEC 2017 8:40PM by PIB Delhi

सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 के खंड 63 के तहत दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें बोली की पास्दर्शी प्रक्रिया के तहत पवन ऊर्जा की खरीद की रूपरेखा बनाई गयी है जिसमें प्रक्रिया का मानकीकरण, भूमिका निर्धारण तथा विभिन्न हितधारकों की जिम्मेदारियां शामिल की गई हैं। इन मार्ग-निर्देशों का उद्देश्य वितरण लाइसेंसधारियों को किफायती तरीके से प्रतियोगी दरों पर पवन ऊर्जा खरीदने में सक्षम बनाना है।

ये दिशा-निर्देश ग्रिड से जुड़े पवन ऊर्जा परियोजना (डब्ल्यूपीपी) से पवन ऊर्जा खरीदने के लिए ऐसी बोली पर लागू होंगे जिसका -

- अंतर्राज्यीय परियोजनाओं के लिए एक स्थल पर कम से कम 25 मेगावाट की बोली क्षमता के 5 मेगावाट का आकार हो; तथा
- अंतर्राज्यीय परियोजनाओं के लिए एक स्थल पर कम से कम 50 मेगावाट की बोली क्षमता के 50 मेगावाट का आकार हो

दिशा-निर्देशों की मुख्य बातों में ग्रिड अनुपलब्धता तथा बैकिंग डाउन के लिए क्षतिपूर्ति, बेहतर भुगतान सुरक्षा व्यवस्था, बोली प्रक्रिया का मानकीकरण, कानून में परिवर्तन, अप्रत्याशित घटना जैसे प्रावधानों के जरिये विभिन्न हितधारकों के बीच जोखिम भागीदारी रूपरेखा, क्रेता तथा उत्पादक द्वारा चूक किये जाने की स्थिति में ठोस कदम इत्यादि शामिल हैं।

इन दिशा-निर्देशों से पवन ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि इससे वे राज्य जहां तेज हवाएं चलती हैं स्वयं पवन ऊर्जा खरीद के लिए बोली में भाग लेने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। निरंतर टैरिफ के बजाय बोली रूट को अपनाने के बाद एसईसीआई के माध्यम से मुख्यतः केंद्र सरकार की बोलियां ही लगा करती थीं जिससे इस क्षेत्र को मदद मिल रही थी। दिशा-निर्देशों के अभाव में तमिलनाडु तथा गुजरात राज्यों की राज्य बोलियों पर पवन क्षेत्र द्वारा आपत्तियां जताई जाती थीं।

एसईसीआई की दूसरी बोली द्वारा प्राप्त प्रति यूनिट 2.64 रुपये की अत्यधिक प्रतिस्पर्धी शुल्क दरों और राज्यों के लिए जारी इन दिशा-निर्देशों को देखते हुए वर्ष 2022 तक 60 गीगावाट की प्राप्ति की दिशा में पवन क्षेत्र द्वारा उल्लेखनीय प्रगति करने की उम्मीद है।

ये दिशा-निर्देश निम्न लिंक पर उपलब्ध हैं :

http://powermin.nic.in/sites/default/files/webform/notices/Resolution_on_wind_Bidding_Guidelines_dated_8th_Decemeber_2017_Eng.pdf

वीके/एम/जेडी/सीएस-5830

(Release ID: 1512422) Visitor Counter : 50

